न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज0

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा, आर0ए0एस0

राजस्व वाद संख्या : 107/2011

वादीगण :-

1. बाबू पुत्र जस्सा
2. गीता बेवा जस्सा

जातियान-सरगरा, निवासी-राजादण्ड
तह0-जैतारण (जिला-पाली)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. भंवरलाल पुत्र जोराराम
2. मोहनलाल पुत्र शिवदान
3. मांगीलाल पुत्र शिवदान

जातियान-सरगरा, निवासी-राजादण्ड
तह0-जैतारण (जिला-पाली)

4. तहसीलदार, जैतारण लैण्ड होल्डर
तह0-जैतारण (जिला-पाली)

राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

तारीख रजू:.08/06/2011

उपस्थितः. 1. श्री रूस्तम खान भाटी, अधिवक्ता, वादी।
2. श्री राजेन्द्र गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 02/06/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि सरहद मौजा-राजादण्ड, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 14-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल की आई हुई हैं। जिसमें वादीगण का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 व 2, 3 के 1/3 हिस्सा की जमीन आती हैं। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त शामलाती हैं। जिसके खाता संख्या 74 हैं तथा नक्शा ट्रेस में भी यह कृषि भूमि शामलाती दर्शाई गई हैं। सम्वत् 2063 से 2066 की जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस की नकल वाद के साथ पेश की जा रही हैं, जिसे वाद पत्र का एक भाग माना जावें। उपरोक्त कृषि भूमि में वादीगण व प्रतिवादीगण का संयुक्त कब्जा काश्त हैं। जिस पर वादीगण हर वर्ष फसल बोते हैं। इस जमीन पर वादीगण व प्रतिवादीगण के निवास हेतु व कृषि भूमि से प्राप्त फसल, कृषि औजार व पशुओं के लिए तीन मकान बने हुए हैं। जिसमें से एक मकान में वादीगण, एक में प्रतिवादीगण संख्या 1 तथा एक में प्रतिवादीगण 2 व 3 निवास करते हैं। उपरोक्त जमीन वादीगण व प्रतिवादीगण की संयुक्त शामलाती जमीन होने से अभी तक इस कृषि भूमि का कोई बंटवाड़ा नहीं किया हुआ हैं व न ही कभी इस जमीन का कोई बंटवाड़ा किया हुआ था। इसलिए इस जमीन के प्रत्येक इंच की जमीन पर वादीगण का कब्जा काश्त हैं। वादीगण व प्रतिवादीगण हर वर्ष इस भूमि के अलग-अलग भागों पर काश्त करते हैं तथा बिना किसी रोक-टोक के फसलें प्राप्त करते हैं। उपरोक्त कृषि भूमि संयुक्त कब्जे की होने से वादी अपने हिस्से की भूमि को उन्नत नहीं कर सकता। इसलिए वादी ने उपरोक्त कृषि भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के बंटवाड़ा करने की प्रतिवादी को बात कहीं। प्रतिवादीगण बंटवाड़ा करने का सहमत नहीं हुए। वादीगण को अपने हिस्से की जमीन को उन्नत व उपयोगी बनाने हेतु ऋण की आवश्यकता होने से तथा अपने हिस्से की जमीन पर उन्नत तरीके से कृषि करने हेतु ऋण की आवश्यकता हैं। वादीगण को अपने हिस्से का बंटवाड़ा करना अत्यावश्यक हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 उपरोक्त जमीन का बंटवाड़ा नहीं होने के

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

कारण कानून को हाथ में लेकर कृषि भूमि पर बगैर भूमि की किस्म परिवर्तन कराये अवैध निर्माण करना चाह रहा हैं तथा मौके पर निर्माण कार्य भी शुरू कर दिया हैं। जब तक विवादग्रस्त स्थल पर बंटवाड़ा नहीं हो जाता किसी भी प्रकार का निर्माण करने का अधिकार प्राप्त नहीं होता, क्योंकि बगैर बंटवाड़ा किस काश्तकार की किस जगह जमीन आती हैं यह स्थिति स्पष्ट नहीं होती। प्रतिवादीगण संख्या 1 ने अविभाजित कृषि भूमि पर जो निर्माण कराना शुरू किया हैं, वह कानूनन सही नहीं हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 द्वारा किये जा रहे अवैध निर्माण को नहीं रोका जाता हैं, तो वादीगण को असीम क्षति होगी। जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी रूप में संभव नहीं होगी। वादीगण द्वारा इस भूमि का कानून बंटवाड़ा कराने हेतु यह वाद बाबत् बंटवाड़ा प्रस्तुत किया जा रहा हैं। वादीगण को उनके हिस्से अनुसार 1/3 हिस्से की जमीन का तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 का 1/3 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 2, 3 का 1/3 हिस्सा अलग-अलग बंटवाड़ा किया जाकर मौके पर मुड्डागड्डी करवाया जाना कानूनन आवश्यक हैं। बगैर बंटवाड़ा वादी व प्रतिवादीगण के बीच में लड़ाई-झगड़ा होने की संभावना हैं। इसलिए वादी व प्रतिवादीगण के बीच में उसके हिस्से माफिक बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर हिस्से सुपुर्द किया जाना कानून की दुष्टि से अत्यावश्यक हैं। तथ्यों, परिस्थितियों, दस्तावेजों के आधार पर वादीगण का प्रथम दृष्टिया मामला बखूबी मजबूत साबित हैं तथा सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में बखूबी साबित हैं, इसलिए यह वाद बंटवाड़ा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश किया जा रहा हैं। प्रतिवादीगण संख्या 1 यदि कानून को हाथ में लेकर बगैर बंटवाड़ा की जमीन में कच्चा-पक्का निर्माण करते हैं तो उपरोक्त जमीन का बंटवाड़ा करने में कठिनाईयाँ उत्पन्न हो जायेगी, जिससे जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिवादीगण को निर्माण करने से रोका जाना अत्यावश्यक हैं तथा वादी के पास कोई अन्य विकल्प नहीं होने से वाद स्थाई निषेधाज्ञा का विरूद्ध प्रतिवादीगण पेश किया हैं। बिनायदावा दिनांक 05/06/11 को प्रतिवादीगण द्वारा बंटवाड़ा कराने से मना करने व मौके पर अवैध निर्माण शुरू कर देने से व दिनांक 06/06/2011 को राजस्व रेकर्ड की नकलें प्राप्त करने पर मौजा-राजादण्ड में उत्पन्न होता हैं, जो श्रीमान् के क्षैत्राधिकार व श्रवणाधिकार में हैं। इस प्रकार वकील मय वादीगण ने माफिक दावा वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर विवादित उक्त भूमि का बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस किये जाने की ईश्तदुआ की हैं।

इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिए सम्मनस वास्ते जबाबदावा तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 को बावजूद तामिली / सूचना अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। वादीगण एवं प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने दिनांक 25/07/2011 को एक तहरीरी राजीनामा पेश किया, जिसे बाद तरदीक सामिल मिसल किया गया। प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 ने ईकबालिया जबाबदावा पेश कर वाद-पत्र के समस्त तथ्यों को स्वीकार कर वाद को डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने हेतु संपुष्ट किया हैं। वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से दिनांक 03/01/2013 को एक तहरीरी राजीनामा पेश कर उक्त विवादित भूमि के वादीगण संख्या 1 व 2 का 1/3 हिस्सा मौके पर कब्जा काश्त अनुसार उक्त भूमि के पश्चिम की तरफ होना, प्रतिवादीगण संख्या 2 व 3 के 1/3 हिस्से की भूमि मौके पर कब्जा काश्त अनुसार उक्त भूमि के पूर्व की ओर तथा प्रतिवादीगण संख्या 1 के हिस्से की भूमि प्रतिवादी संख्या 2 व 3 की भूमि के पूर्व दिशा में मौके पर काबिज होना अंकित कर उभय पक्षों ने राजीनामा में सहमति व्यक्त कर जरिए प्राथमिक डिक्री बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किये जाने की स्वीकारोक्ति दी हैं।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादीगण ने माफिक राजीनामा दिनांक 25/07/2011 एवं 03/01/2013 प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा मौके पर किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमति व्यक्त की हैं।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र, ईकबालिया जबाबदावा, राजीनामा उभय पक्षकारान् दिनांक 25/07/2011 एवं दिनांक 03/01/2013 का गहनतापूर्वक अध्ययन किया गया तथा बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक राजीनामा एवं राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा मौके पर करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री बहक वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय की सादिर की गई कि सरहद मौजा-राजादण्ड, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 14-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल भूमि का जो राजस्व रेकर्ड में वादी एवं प्रतिवादीगण की सामलाती व कब्जे काश्त की हैं, बंटवाड़ा बाई मिट्स एण्ड बाँउण्डस करवाया जाकर खाता व लगान अलग-अलग दर्शाकर पत्थरगढ़ी /नेखमबन्दी करवाकर बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा बनाया जाने हेतु एवं बंटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा प्रस्तुत करने हेतु तहसीलदार, जैतारण को अधिकृत किया जाकर पत्रांक/कोर्ट/2014/86 दिनांक 21/01/2014 द्वारा आदेशित किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र - पाटवा पर पेश हुई। तहसीलदार, जैतारण ने उक्त विवादित भूमि का आज दिनांक 02/06/2015 को राजस्व लोक अदालत में फर्द मौका विभाजन / बंटवाड़ा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा पेश किया, सा0मि0 किया गया। उक्त बंटवाड़ा रिपोर्ट पर उभय पक्षों ने स्वीकारोक्ति कर हस्ताक्षर / अंगूठा अंकित किए हैं। तहसीलदार, जैतारण द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना अर्थात् बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा प्रस्तुत की, सा0मि0 की गई।

बंटवाड़ा प्रस्ताव पर बहस वकुलाय सुनी गई। बहस के दौरान वकील वादीगण ने माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने की ईश्तदुआ की हैं। वकील मय प्रतिवादीगण ने भी माफिक विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादी का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किये जाने में कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की अर्थात् सहमति व्यक्त की हैं। लिहाजा माफिक बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/15 वादीगण का वाद डिक्री किया जाकर बंटवाड़ा किया जाना उचित समझते हैं।

-:: आदेश ::-

अतः माफिक बँटवाड़ा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/2015 अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद मौजा-राजादण्ड, पटवार मण्डल-पाटवा, तहसील-जैतारण में वादीगण व प्रतिवादीगण के कब्जे काश्त की कृषि भूमि खसरा नम्बर 184 रकबा 14-16 बीघा किस्म बारानी अव्वल की भूमि का बँटवाड़ा अर्थात् विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता हैं :-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्दियत व सकूनत	खसरा नम्बर	रकबा बीघा बिस्वा बिस्वांसी	किस्म	लगान
1	बाबु पुत्र जसा, गीता पत्नि जसा	184	4-19-00	बा0अ0	3.08 रू.

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

	कौम–सरगरा सा0 देह खातेदार।				
2	भंवरलाल पुत्र जोराराम कौम–सरगरा सा0 देह खातेदार।	184/2	4-19-00	बा0अ0	3.08 रू.
3	मोहनलाल मांगीलाल पि0 शिवदान कौम–सरगरा सा0 देह खातेदार।	184/1	4-18-00	बा0अ0	3.08 रू.

तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद किया जावें। बंटवाड़ा रिपोर्ट /विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावें। वादीगण के कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करने से प्रतिवादीगण को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा रोका जाता हैं। डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा मय विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 02/06/2015 की प्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता मिसिल दफ्तर /लेख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 2/06/2015 को राजस्व लोक अदालत आयोजित शिविर–पाटवा में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी, जैतारण
जिला पाली (राज0)

Scanned by CamScanner